संख्या: 304/XXVII(7)02/2012

(210)

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 25 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2012 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:143/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13 जून,2012 ।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(8)/ 2012– ई–ii(बी) दिनांक 28 सितम्बर, 2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 143/xxvii(7) 02/ 2012 दिनांक 13जून,2012 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 65 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या:143/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13जून,2012 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(8)/2012–ई–ii(बी) दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01–07–2012 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2012, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर,2012 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अक्टूबर,2012 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 307/ xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।